न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारीः- दिनेश कुमार मण्डोवरा
आर.ए.एस.

1-श्री भुरालाल पिता रामेश्वरलाल जी जाति जणवा आयु वयस्क निवासी गोठडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0
2-श्रीमती चांदीबाई पत्नी रामेश्वरलाल जी जाति जणवा आयु वयस्क निवासी गोठडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0

--वादीगण

बनाम

1-श्री किशना उर्फ किशनलाल पिता रामा जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी गोठडा हाल मुकाम अगोरिया तहसील जीरण जिला नीमच म0प्र0
2-श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी

--प्रतिवादी

दावा - 88,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 28/5/2018
प0स0- २४/१६

उपस्थित :-1-संजय कुमार खिमेसरा विध्दवान अधिवक्ता वादी की ओर से
2-रामप्रसाद जणवा विध्दवान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः- वादी ने एक वाद 88, 188 आर0टी0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा कारुण्डा की आराजी नं. 1178/2896 रकबा 0-26 व आराजी नं. 1180 रकबा 0-14व आराजी नं. 1181 रकबा 0-48 हैक्टर कुल किता 03 रकबा 0-88 हैक्टर स्थित है। जिसके साबिका आराजी नं. 1061/2 मीन रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा एवं आराजी नं. 1062/1 मीन रकबा 2 बिघा व बिस्वा ... मीन जिसके पडौस

सम्वत 2013 में जरिये विक्रय पत्र 1 रुपया प्रति बिस्वा से यानी 88 रुपया चान्दी के कलदार से खरीदी थी। तथा इस आशय का विक्रय पत्र भी वादी के पिता के पक्ष में रुबरु गवाहान निष्पादित कर दिया था। तभी से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण के पिता एवं पति एवं उनके मरने के बाद वादीगण काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा प्रतिवादी के दादा भाना जी की मृत्यु हो गई है और भाना जी के मरने के बाद उनकी बेवा बदरी एवं रामा हुए, और बदरी एवं रामा की मृत्यु हो गई है। जिसका वारीश प्रतिवादी संख्या 1 किशनलाल हुआ है। विक्रय पत्र लिखने के पश्चात वादीगण के पिता व पति की ना समझी के कारण इसका नामान्तकरण नही हो पाया है। जिसके कारण भाना जी के वारीसो का ही नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। और इसी का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी गण के मन में बदयान्ती आ गई है। इस कारण मजबुरन वादीगण को यह दावा खिलाफ प्रतिवादी के प्रस्तुत करना पड रहा है।

वाद पत्र में आगे लिखा कि विक्रय पत्र निष्पादित करने के बाद वादीगणो के पिता द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण नही करा सका और इसी कारण प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादीगण के पिता एवं वादीगण विक्रय पत्र की रुह से वादग्रस्त आराजीयात खातेदार काश्तकार है।तथा ऐसी घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है। वादी ने अपनी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी वादग्रस्त आराजी व मिलान क्षैत्रफल व बयनामा प्रस्तुत किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी किशनलाल ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जबाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावे में प्रतिवादी ने वादी के दावे के तथ्यो को स्वीकार करते हुए, अकित किया की वादग्रस्त आराजीयात मेरे दादा जी ने पुर्व में ही वादीगणो के पिता को विक्रय कर दी थी तभी से वादी काबीज होकर वादग्रस्त आराजीयात पर काश्त कर रहे है। वादग्रस्त आराजीयात विक्रय करने के पश्चात मेरे दादाजी व पिता की मृत्यु हो गई थी। और हम सब पुर्व में सकुनत तर्ज कर मध्यप्रदेश के अगोरिया गांव चले गये है। वादग्रस्त आराजीयात से मेरा कोई तालुक सम्बंध सरोकार नही है। और न ही मैने वादीगणो से दिनांक 24/05/2018 को कोई झगडा किया है न ही वादीगणो की खातेदारी से इंकार किया है और जवाब दावे में अपने अभीवचनो में आगे लिखा कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगणो की खातेदारी में दर्ज कर मझे स्थाई

चाही और सीधे ही वकील वादी ने बहस करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित समस्त तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किय कि जब वादी के दावे को प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया है तो स्वीकृत तथ्यो को साबित करने की आवश्यकता नही है और न ही किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता है धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकृत तथ्यो को साबित करने की आवश्यकता नही है और नही किसी प्रकार की साक्ष्य की आवश्यकता होती है। और अन्त में निवेदन किया कि वादी का दावा डीकी किया जावे। वकील प्रतिवादी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी के पुर्वजो ने सम्वत 2013 में ही विक्रय कर दी थी अब इस आराजीयात से प्रतिवादी को कोइ तालुक सम्बंध सरोकार नही है। इसलिये वाद डिकी किया जावे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ती नही है।

उभयपक्षो की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन व मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का भी गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अध्ययन के पश्चात साक्ष्य के आधार पर यह स्वीकृत तथ्य है कि वादीगणो के पिता व पति ने सम्वत 2013 में जरिये बयनामे से वादग्रस्त आराजी रुबरु गवाहान क्रय की थी। तथा सम्पति का मुल्य भी 100रुपया से कम यानी 88 रुपया है। इसलिये यदि 100 रुपया से कम की सम्पति का अगर कोई लेनदेन होता है तो 100 रुपया से कम का पंजीयन कावश्यक नही है। तथा इस बयनामे से वादीगण के पिता व पति और उसकी मृत्यु के पश्चात अब वादीगण खातेदार काश्तकार हो गये है। बयनामे एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अध्ययन करने के पश्चात मेरी निजी एवं विधि सम्वत राय में वादी का दावा डीकी किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार छोटीसादडी को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादीगणो का नाम अमद दरामद किया जावे। और प्रतिवादीगणो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से कराये।

हुक्म		
24/5/18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/5/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी	
28/5/18 वकील हाजिर	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील प्रतिवादी उपस्थित ~~वकील~~ वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद को डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर उभय पक्षों को सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] सादड़ी	
9.7.18	पत्रावली वकील वादी श्री [illegible] के प्रार्थना पत्र पर तलब हुई वकील वादी द्वारा धारा 152 C.P.C. पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री जारी करते समय वादी की जाति सहवन से दर्ज नहीं कि गई इसलिए जाति दर्ज की जावे। पत्रावली वकील वादी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली के दर्ज के [illegible] डिक्री पत्र को अवलोकन किया डिक्री को देखने मात्र से यह जाहिर होता है कि पटवार के [illegible] के [illegible] जाति नहीं लिखी गई है इसलिए वकील वादी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर रिकार्ड किया जावट कार्य के बाद के आगे जारि जावा खारिज मौका और छोड़ा जाता है [signature] उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी	